न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी–श्री विवेक व्यास,आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–66 / 2022

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1.सोनाराम पुत्र भेराराम 2.गोकलराम पुत्र भेराराम 3.देवाराम पुत्र भेराराम 4.मेहराराम पुत्र किशनाराम 5.भलाराम पुत्र किशनाराम 6.टीपूदेवी पत्नि किशनाराम जाति जाट निवासी साजियाली पदमसिंह कण्ठवाड़ा तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर	1.हरजीराम पुत्र तिलाराम 2.खेमाराम पुत्र तिलाराम 3.मूलाराम पुत्र पेमाराम 4.आईदानराम पुत्र नवलाराम 5.लालाराम पुत्र नवलाराम 6.राजों पत्नि वेहनाराम जाति जाट निवासी रूपजी कंठवाड़ा तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर 7.गजाराम पुत्र खेताराम 8.मानाराम पुत्र खेताराम 9.जेठाराम पुत्र नाथाराम 10.मेधाराम पुत्र नाथाराम 11.कनीराम पुत्र नाथाराम 12.सरूपाराम पुत्र चूनाराम 13.मोहनराम पुत्र चूनाराम 14.गुणेशकुमार पुत्र चूनाराम 15.अमराराम पुत्र नाथाराम जाति प्रजापत निवासी चम्पाबेरी तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर 16.राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार पचपदरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.15 19:21:25 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1

उपस्थिति–

1.श्री पुनमाराम चौधरी अधिवक्ता वादीगण की ओर से उपस्थित।

2.प्रतिवादीगण एकतरफा।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

निर्णय

दिनांक– 12.1.2023

1.संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि वादीगण की खातेदारी भूमि ग्राम साजियाली पदमसिंह कठवाड़ा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 106/19 रकबा 69–00 बीधा अवस्थित है। वादीगण का अपनी खातेदारी भूमि में कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण की खातेदारी भूमि के बदिशा दक्षिणी पूर्वी तरफ सीमा पर सेढा सेढ जुड़ती प्रतिवादी संख्या 1 से 15 की खातेदारी भूमि आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी के भूमियों के मध्य सीमा पर सेढा माठ वक्त सेन्टलमेट के बने हुए थे,लेकिन धीरे धीरे आंधी तूफान वर्षात से अस्तित्व में नहीं रहे है। प्रतिवादी पक्ष आये दिन वादीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करते रहते है और वादीगण की खातेदारी भूमि में अवैध कब्जा करने की फिराक में रहते है। वादीगण की ओर से अपनी वादग्रस्त भूमि की नेखमबंदी का आवेदन न्यायालय हाजा में पेश किया,जो बाद स्वीकार किया। वादग्रस्त भूमि की पैमाइश की गई,जिसमें वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी का रकबा 2–15 बीधा अवैध अतिक्रमण पाया। अतःवादग्रस्त भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 से 15 द्वारा रकबा 2–15 बीधा भूमि पर मौका फर्द में दर्शाये बरंग लाल स्थान पर किया गया अवैध अतिक्रमण हटाया जाकर वादीगण को सुपुर्द करवानें व प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निधेषाज्ञा जारी करवाने का वाद पेश किया गया है।

2.वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

3.प्रतिवादी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही पारित होने के कारण तनकी[illegible] की आवश्यकता नहीं रही। वादी गवाहान में पी.डब्ल्यू–1 सोनाराम व पी.डब्ल्यू–2 [illegible] के बयानात करवायें गयें। दस्तावेजी साक्ष्य में ई.एक्स.पी–01 वादग्रस्त भूमि ग्राम साजियाली पदमसिंह कंठवाड़ा की खेत खसरा संख्या 106/19 की जमाबंदी संवत 2072–2075 व ई.एक्स.पी–02 इसी ग्राम की नक्शा ट्रेस प्रति, ई.एक्स पी–3 वादग्रस्त भूमि की नेखमबंदी मौका

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.15 19:21:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

फर्द रिपोर्ट एवं ई.एक्स पी–4 नेखमबंदी मौका फर्द के संलग्न नक्शा प्रति प्रदर्शित करवाई गई।

4 वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने वाद के तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में तर्क दिये कि वादीगण की खातेदारी भूमि ग्राम साजियाली पदमसिंह कठवाडा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 106/19 रकबा 69–00 बीधा अवस्थित है। वादीगण का अपनी खातेदारी भूमि में कब्जा काश्त चला आ रहा है। ,वादीगण अपनी खातेदारी भूमि में रहवासीया ढाणीया,पानी के टांके,पशुओं के लिए बाड़े इत्यादि बने हुए है। वादीगण की खातेदारी भूमि के बदिशा दक्षिणी पूर्वी तरफ सीमा पर सेढा सेढ जुड़ती प्रतिवादी संख्या 1 से 15 की खातेदारी भूमि आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी के भूमियों के मध्य सीमा पर सेढा माठ वक्त सेन्टलमेट के बने हुए थे,लेकिन धीरे धीरे आंधी तूफान वर्षात से अस्तित्व में नहीं रहे है। प्रतिवादी पक्ष झगड़ालू प्रवृति के व्यक्ति है,जो वादीगण की भूमि को हड़प करने की नियत रखतें है और आये दिन वादीगण की खातेदारी कब्जाशुदा भूमि में दखलदान्जी करने की कोशिश करते रहते है तथा वादीगण की खातेदारी भूमि में अवैघ कब्जा करने की फिराक में रहने के कारण वादीगण की ओर से अपनी वादग्रस्त भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें हेतु माननीय न्यायालय में आवेदन पत्र नेखमबंदी करवानें का पेश किया गया। जो वादीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हुए और बाद सुनवाई वादीगण का आवेदन स्वीकार किया गया और राजस्व टीम द्वारा वादग्रस्त भूमि की पैमाइश की कार्यवाही की गई,जिसमें मौका फर्द में स्पष्ट अंकन हुआ कि वादीगण की खातेदारी भूमि में से रकबा 2–15 बीधा भूमि पर प्रतिवादी का अवैध कब्जा कर रखा है। वादीगण की ओर से प्रतिवादी पक्ष को अवैध कब्जा हटाने का निवेदन किया,लेकिन प्रतिवादी पक्ष की ओर से इन्कार किया और कहां कि उक्त अवैघ अतिक्रमण से ओर अधिक भूमि पर कब्जा कर [illegible] जा[illegible] इस कारण वादीगण की ओर से माननीय न्यायालय में प्रश्नगत भूमि का वाद पेश [illegible] गया है। अपनी बहस को आगे ओर जारी रखतें हुए कथन किया कि वादीगण की खा[illegible] भूमि में प्रतिवादी का कोई हक हकूक निहित नहीं है,लेकिन प्रतिवादी की ओर से किये गये अवैध

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.15 19:21:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

अतिक्रमण को हटाया जाना अति आवश्यक है। क्योकि नेखमबंदी मौका रिपोर्ट में यह साफ हो चुका है कि वादीगण की भूमि रकबा 2.15 बीधा पर प्रतिवादी का अवैध कब्जा किया हुआ है,जिसे हटाया जाना उचित है। ऐसी सूरत में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी की ओर से किये गये अवैध कब्जा रकबा 2–15 बीधा भूमि पर मौका फर्द में दर्शाये बंरग लाल हटाया जाकर वादीगण को सुपुर्द करावें एवं प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निधेषाज्ञा जारी की जावें,कि वादीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी नहीं करे एवं पुनः जबरन कब्जा नहीं किया जावें।

5.हमनें वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात,नेखमबंदी मौका फर्द रिपोर्ट एंव बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम साजियाली पदमसिंह कठवाड़ा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 106/19 रकबा 69–00 बीधा भूमि वादीगण की संयुक्त खातेदारी में इन्द्राज है,जो वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी प्रदर्श–01 के अवलोकन से स्पष्ट है। वादीगण की ओर से अपनी खातेदारी भूमि में रकबा 2.15 बीधा पर प्रतिवादी की ओर से किये गये अवैध कब्जा को हटाने की मुख्य इस्तदुआ चाही गई है,जो कि उप तहसीलदार पाटोदी के पत्र के संलग्न फर्द मौका नेखमबंदी रिपोर्ट दिनांक 20.6.2018 में स्पष्ट अंकन किया है,कि वादीगण की खातेदारी भूमि में से रकबा 2–15 बीधा भूमि पर प्रतिवादी की ओर से अवैध कब्जा कर रखा है और उक्त अवैध कब्जा होने के कारण नेखमबंदी की कार्यवाही सम्पन्न नहीं हो पाई थी,अवैघ कब्जा बरंगा लाल नक्शें में दर्शित किया हुआ है,जो कि ई.एक्स.पी.–04 अवलोकन से स्पष्ट है। इस प्रकार फर्द मौका रिपोर्ट से प्रमाणित है कि वादीगण की भूमि पर प्रतिवादी पक्ष का अवैध कब्जा कर रखा है जो कि अवैध कब्जा की भूमि को वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है उक्त तथ्यों को [illegible] बयान मिलता है। प्रतिवादी पक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी [illegible] ओर से कोई पक्ष नहीं रखा गया। उपरोक्त विवेचन उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.15 19:21:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

6.लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम साजियाली पदमसिंह कंठवाड़ा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 106/19 रकबा 69-00 बीघा भूमि में नेखमबंदी फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 20.6.2018 प्रदर्श-4 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 15 द्वारा किया गया रकबा 2-15 बीघा भूमि अवैध कब्जा हटाया जाकर वादीगण को सुपुर्द किया जावें। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 से 15 को जरिये स्थाई निषेघाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि में दखलदान्जी नहीं करे। प्रदर्श-04 निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 12.01.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.15 19:21:25 IST
Reason: SelfAttested